

—: आदेश :—

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(1)/चिस्वा/2/2014पार्ट दिनांक 09.11.2017 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अर्न्तगत वॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1	डूंगरपुर	डॉ० आशुतोष झा/श्री केसरी झा	31.10.87		पुरुष	मु.चि. एवं स्वा.अधि. डूंगरपुर के अधीन
2		डॉ० निकिता जाखड/ डॉ० महेन्द्र सिंह जाखड	28.12.93		महिला	
3	टोंक	डॉ० सरिता यादव/श्री जगदीश प्रसाद यादव	10.08.92		महिला	मु.चि. एवं स्वा.अधि. टोंक के अधीन
4		डॉ० रामसिंह मीणा/श्री रामशरण मीणा	04.07.92		पुरुष	
5		डॉ० अदिति बगडिया/ श्री जी.आर. बगडिया	13.12.91		महिला	
6		डॉ० आयुषी कुर्मी/श्री राकेश कुर्मी	10.09.93		पुरुष	
7		डॉ० विक्रम कुमार वर्मा/ श्री रामदेव वर्मा	23.11.91		पुरुष	
8		डॉ० हनुमान प्रसाद शर्मा /श्री रामजीलाल शर्मा	01.06.91		पुरुष	

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

नोट :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री आरएमसी का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्र की जांच करें तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यर्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दन्त) हैं तो उनको कार्यग्रहण नहीं करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 30/01/2018

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2018/02

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
- संभागीय आयुक्त, संबंधित/ जिला कलेक्टर, संबंधित।
- शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सक को आपके अधीन लम्बे समय से आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रिक्त चल पदों पर पदस्थापन करते हुए कार्यग्रहण की सूचना 03 दिवस में अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
- निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।